SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE BHOPAL

Case No.................... of 2024 Complaint or report made on अ.क्र. 370/24

Name and address of the complainant ...... आबकारी भोपाल वृत्त क 8B

Name, parentage, caste and address of accused

दीपक आ. सुरेश पालीवाल
उम्र 38, नि नेहरू नगर भोपाल

The offence complained of And date of, its alleged commission

1— आपने दिनांक 20/10/24 समय 9.45 PM पर आरक्षी केन्द्र आबकारी भोपाल के क्षेत्रांतर्गत स्थित बासिल रेल्वे पर अपने कब्जे में अवैध रूप से मादक द्रव देसी / विदेशी / हाथ भट्टी की शराब का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान गृह के रूप में करते पाये गये। इस प्रकार **धारा– 36** (B) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

जुर्म स्वीकार है।
9/12/24

(अरुण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म.प्र.)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल
9/12/24

The plea of the accused and his examination (if any)-

(अरुण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल
भोपाल (म.प्र.) 9/12/24

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), of sub section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed

निर्णय

(आज दिनांक 9/12/24 को घोषित)

1— अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वैच्छिक एवं स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे **धारा— 36 (B) आबकारी अधिनियम 1915** के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2— अपराध की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को **धारा— 36 (B) आबकारी अधिनियम 1915** के अपराध के लिये 3000/— रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा विधिवत नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षर
और दिनांक अंकित कर पारित किया गया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गोपाल
(अरूण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म.प्र.) 9/12/24

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गोपाल
(अरूण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल (म.प्र.) 9/12/24